that he will visit at a suitable opportunity.

Indo-Pak Relations

8363. SHRI SAMAR GUHA :
SHRI SITARAM KESRI :
SHRI BENI SHANKER SHARMA :

Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the recent peace, friendship and reconciliation overtures made by the Prime Minister of India to Pakistan had their adverse reaction in Pakistan ;

(b) whether Pakistani official leaders and Pak Radio, in reply to India's offer, intensified their anti-Indian propaganda ; and

(c) if so, the reaction of Government thereto ?

THE PRIME MINISTER, MINISTER OF ATOMIC ENERGY, MINISTER OF PLANNING AND MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRIMATI INDIRA GANDHI) : (a) The interview given by the Prime Minister in March to a correspondent of the APP though widely published in Pakistan evoked only qualified response.

(b) Anti-India propaganda, though not intensified has unfortunately been a continuing feature of Pakistan's policy towards this country.

(c) The Government of India have drawn the attention of the Government of Pakistan on several occasions to the need for improving relations between the two countries and how such propaganda come in the way.

वायु सेना मुख्यालय के एक कर्मचारी से गुप्त कागजात बरामद होना

8364. **श्री निहाल सिंह** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फरवरी, 1968 में सफदरजंग वायुसेना मुख्यालय में काम करने वाली एक महिला टाइपिस्ट के पास से गेट-कीपर ने कुछ गुप्त कागजात पकड़े थे ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले की कोई जांच कराई है; और

(ग) उसका ब्योरा क्या है तथा इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रति रक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

सैनिक कर्मचारियों की भूमि के छीने जाने के बारे में शिकायतें

8365. **श्री निहाल सिंह** : क्या रक्षा मंत्री यह यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) ऐसे सैनिक कर्मचारियों की राज्यवार संख्या क्या है जिन्होंने गत पांच वर्षों में अपनी जमीन तथा अन्य सम्पत्ति के अन्य व्यक्तियों द्वारा हथियाया लिये जाने के बारे में सरकार के पास अपनी शिकायतें भेजी हैं ; और

(ख) सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की है ?

प्रति रक्षा मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) ऐसी शिकायतों का कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता, और न ही पिछले 5 वर्षों के दौरान की ऐसी शिकायतों को इकट्ठा कर पाना संभव ही है ।

(ख) ऐसी शिकायतें जब प्राप्त होती हैं, सेना मुख्यालयों में सम्बन्धित अधिकरणों या निम्न विचारनाओं द्वारा निपटारे के लिए आगे भेज दी जाती है, या संबंधित राज्य सरकारों से मन्त्रणा सहित उनका निरीक्षण किया जाता है और उन पर विचार किया जाता है ।

लद्दाखी जवानों के परिवारों को सहायता

8366. **श्री कुशोक बाकुला** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1947 और 1962 में जम्मू और काश्मीर की रक्षा करते हुए देश के अन्य राज्यों के जिन जवानों ने अपना जीवन

बलिदान कर दिया था, उनके परिवारों को केन्द्रीय सरकार और सम्बन्धित राज्यों ने भूमि और अन्य वित्तीय सहायता दी है; और

(ख) यदि हां, तो जिन लद्दाखी जवानों ने 1947 और 1962 में अपनी देश की रक्षा के लिये अपने जीवन का बलिदान किया था और जिनमें से बहुत से जवानों को उनकी बहादुरी के लिये सैनिक पदक भी दिये गये थे उनके परिवारों को जम्मू तथा काश्मीर की राज्य सरकार द्वारा कोई भूमि अथवा वित्तीय सहायता न दिये जाने के क्या कारण हैं।

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) 1962 के चीनी आक्रमण के पश्चात् जम्मू तथा काश्मीर समेत कई राज्य सरकारों ने युद्ध में मारे गये सेविवर्ग के कुटुम्बों के लिए विभिन्न रियायतों की घोषणा की थी जैसे कि फोरी राहत के लिए करूणामूलक अनुदान, भूमि अलाट करने में तरजीह, बच्चों के लिए शिक्षा रियायतें, जो राज्यवार विभिन्न हैं। जहां तक केन्द्रीय सरकार का सम्बन्ध है पैन्शनी लाभों के अतिरिक्त, फोरी वित्तीय राहत, और मिलटरी सैनिक और लारेंन्स स्कूलों में पढ़ने वाले ऐसे सेविवर्ग के बच्चों को चीनी आक्रमण के बाद छात्र वृत्तियां दी गई हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता क्योंक जम्मू तथा काश्मीर सरकार के दिनांक 19-1-1963 के आदेश में स्पष्टतः कहा है कि अन्य बातों सहित यह रियायतें लद्दाख स्काउटस के सेविवर्ग पर लागू होंगे।

प्रतिरक्षा प्रयोगशालाओं में तकनीशियनों तथा वैज्ञानिकों के पद

8367. **श्री महाराज सिंह भारती** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रतिरक्षा प्रयोगशालाओं में तकनीशियनों तथा वैज्ञानिकों के सारे पद भरे नहीं जा सके और बहुत से पद अब भी रिक्त हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या पर्याप्त अर्हता वाले व्यक्ति देश में उपलब्ध नहीं हैं या भर्ती की प्रक्रिया में कोई त्रुटि हैं;

(ग) गत तीन वर्षों में उनके मंत्रालय में कितने तकनीशियनों तथा वैज्ञानिकों ने त्याग पत्र दिये हैं ; और

(घ) क्या सरकार ने अर्हता प्राप्त व्यक्तियों के त्यागपत्र के कारणों का पता लगाने की कोशिश की है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ला० ना० मिश्र) : (क) और (ख). 1-1-1968 को तकनीकी और वैज्ञानिक स्थानों की कुल संख्या में से, केवल 5 प्रतिशत बिना पूर्ण किए रह गए थे। न पूर्ण किए गए स्थानों में से अधिकतर का गतिवर्ष निर्माण किया गया था। रिक्त स्थानों में से कुछ पदोन्नत किये जाने वालों के लिए अंकित हैं, और इसलिए पूर्ण नहीं किए गए कि आवश्यक सम्पधावधि की सेवा वाले उम्मीदवारों की कमी थी। स्थानों की कुछ संख्या एप्रेंटिसों के लिए भी आरक्षित की गई है, कि जब तक उत्तरोक्त अपना प्रशिक्षण सम्पूर्ण न करलें, और नियुक्ति के लिए विचारे न जाएं, सीधे भर्ती द्वारा उपयुक्त उम्मीदवार प्राप्त करने में इस समय कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ रहा।

(ग)	वैज्ञानिक	तकनीशन
	44	2

(घ) कुल जनशक्ति की तुलना में प्रतिवर्ष लगभग 15 त्याग पत्र कुछ अधिक नहीं हैं। व्यक्तियों द्वारा साधारणतया किए गए कारण है, उच्च अध्ययन, घरेलू कठिनाइयां या अस्वास्थ्य।

टैलीविजन कार्यक्रम

8368. **श्री महाराज सिंह भारती** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक टेलीविजन केन्द्र को वर्तमान